



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 पौष 1937 (श०)

(सं० पटना 35) पटना, बुधवार, 13 जनवरी 2016

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचनाएं

13 जनवरी 2016

एस०ओ० 6, दिनांक 13 जनवरी 2016—बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम, 35 / 1948) की धारा—10 की उप—धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार—राज्यपाल, राज्य के सिनेमा गृहों में प्रदर्शित होने वाले हिन्दी चलचित्र "Chalk N Duster" को, इसके बिहार राज्य में प्रदर्शित होने की पहली तिथि से एक वर्ष की कालावधि के लिए, मनोरंजन कर, जो इस अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत देय है, के भुगतान से छूट देते हैं।

यह अधिसूचना बिहार राज्य में चलचित्रिकी के प्रदर्शन की पहली तिथि से प्रवृत्त समझी जाएगी।

[सं०सं० बिक्री—कर / विमुक्ति—01 / 2016—199]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

13 जनवरी 2016

एस०ओ० 7, एस०ओ० 6, दिनांक 13 जनवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं०सं० बिक्री—कर / विमुक्ति—01 / 2016—200]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

The 13<sup>th</sup> January 2016

S.O. 6, dated the 13<sup>th</sup> January 2016—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 10 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act 35 of 1948), the Governor of Bihar is pleased to exempt the Hindi film "Chalk N Duster" to be exhibited in Cinema Halls of the State from payment of entertainment tax payable under section 3(1)

---

of the said Act for a period of one year from the first date of cinematography exhibition in the state of Bihar.

This notification shall be deemed to have come into force from the first date of cinematography exhibition in the state of Bihar.

[File No. Bikri kar/Vimukti-01/2016-**199**]

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

*Commissioner Commercial Taxes-cum-Principal Secretary.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 35-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>